(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 39/2024

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2024/191

बउनवान

मनमोहन सिंह आयु 38वर्ष पुत्र श्री रामकल्याण मीना जाति मीना निवासी गुराडी तहसील छीपाबड़ौद हाल ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय, छीपाबड़ौद जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां
2. छाबूलाल पुत्र श्री गोरीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम झनझनी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
3. मुन्नीबाई पुत्री भीमा लोधा निवासी ग्राम पीपलहेडा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
4. गीता बाई पुत्री श्री गोपीलाल लोधा निवासी ग्राम झनझनी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
5. गुलाबबाई पुत्री श्री गोपीलाल लोधा निवासी ग्राम झनझनी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 427 दिनांक 11.09.2019 वाके ग्राम खेरखजूरिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां एवं तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा जारी संशोधित निर्णय/आदेश दिनांक 23.12.2024 अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 1)
3– अनुपस्थित (रेस्पो. क्रम 2 ता 5)

निर्णय दिनांक 22.01.2025

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 427 दिनांक 11.09.2019 वाके ग्राम खेरखजूरिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां एवं तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा जारी संशोधित निर्णय/आदेश दिनांक 23.12.2024 से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 30.12.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पो. क्रम 01 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। रेस्पो. क्रम 02 ता 05 बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। प्रकरण मे सर्वप्रथम लिमिटेशन प्रार्थना पत्र धारा 5 पर बहस सुनी गई ओर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर अपीलांट के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:20 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अपीलांट उक्त नामांतरण के संबंध में पीड़ित पक्षकार है क्योंकि अपीलांट के विरुद्ध रेस्पो. क्रम 03 ता 05 द्वारा फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया गया है। ग्राम वाके हल्का खेरखजूरिया ग्राम पंचायत झनझनी में जमाबंदी संवत् 2047–2050 में खसरा नं. मिन 272/1 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही थी तथा नई चौसाला जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 में उक्त खातेदार का नाम गोपीलाल के स्थान पर गोरीलाल पुत्र श्री बलराम दर्ज हो गया जबकि दोनों व्यक्ति भिन्न है। अपीलांट उक्त पटवार हल्का झनझनी ग्राम खेरखजूरिया में हल्का पटवारी के रूप में वर्ष 2019–20 में पदस्थापित था। उस समय राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि खसरा नं. 376/272 के रूप में दर्ज हुई तथा संवत् 2071–2074 की जमाबंदी में मौजूदा रिकार्ड अनुसार गोरीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र छाबूलाल द्वारा यह कहते हुए पेश किया गया कि गोरी लाल की मृत्यु दिनांक 03.02.2006 को हो गई थी तथा

मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.03.2019 को बनवाया जाकर वारिस प्रमाण पत्र के रूप में ग्राम पंचायत झनझनी का वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 02.04.2019 पेश किया, जिसमें गोरीलाल की मृत्यु होना बताया जाकर उसके एक पुत्र छाबूलाल तथा पत्नी औंकारीबाई का उल्लेख करते हुए जारी किया गया तथा औंकारी बाई को मृत बताया गया। उक्त सभी दस्तावेज के आधार पर अपीलांट के द्वारा नामांतरकरण दर्ज कर जांच हेतु नामांतरकरण भू–अभिलेख निरीक्षक के समक्ष पेश किया जिन्होंने उक्त नामांतरकरण की जांच दिनांक 11.09.2019 को की तथा उक्त जांच के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा तस्दीक करने के बाद राजस्व रिकार्ड में उक्त नामांतरण का अमल दरामद कर दिया गया था।

यह कि रेस्पो. छाबू लाल द्वारा उक्त समस्त दस्तावेज फर्जी व कूटरचित बनाकर पेश किये गये थे, जिसकी जानकारी अपीलांट को तब हुई जब रेस्पो. क्रम 3 ता 5 द्वारा अपीलांट के विरूद्व फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया तो अपीलांट द्वारा रेस्पो. क्रम 1 के यहॉ उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु तथा उक्त कूटरचित दस्तावेज के सम्बन्ध मे जानकारी देकर उक्त नामान्तरकरण पर जारी निर्णय को निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा साथ मे धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर रेस्पो. क्रम 1 द्वारा उक्त नामान्तकरण को दिनांक 16.12.2024 को निरस्त भी कर दिया गया। जिसके बाद पुनः संशोधित आदेश दिनांक 23.12.2024 को जारी कर अपने द्वारा जारी किये गये निर्णय को अपास्त कर दिया गया। रेस्पो. क्रम 1 द्वारा दिनांक 23.12.2024 को जो आदेश जारी किया गया है वह बिना अधिकार क्षेत्र के जारी किया गया है, इस कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि तहसीलदार रेस्पो. क्रम 1 द्वारा दिनांक 16.12.2024 को जो आदेश जारी किया गया था वह पूर्ण रूप से विधिक आदेश था क्योकि मौजूदा कानून मे यह प्रावधान है कि यदि किसी तथ्य को गलत बताकर कोई कार्य दौराने राजकार्य करते समय हो जाता है तो जब भी उक्त गलत तथ्य की जानकारी उसको हो जाती है तो वह अपने उच्चाधिकारियों को इस संबंध मे अवगत करवाकर सही करवा सकता है। इसी आधार पर अपीलांट रेस्पो. क्रम 1 के यहॉ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जो पूर्णतः विधिक था जिसमे अपीलांट की कोई दुर्भावना निहित नही थी।

यह कि विधि मे यह भी प्रावधान है कि किसी भी गलत तथ्य के अधार पर कोई कार्य हो जाता है तो सही तथ्य जानकारी में आने के बाद उसमे लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान लागू नही होते है, जब सही तथ्य की जानकारी अपीलांट को हुई उसी समय से लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान लागू होते है परंतु गलत तथ्यों के आधार पर कोई कार्य हो जाता है तो वास्तविक एवं सही तथ्य सामने आने पर लिमिटेशन के प्रावधान लागू नहीं होते है, इसलिये उक्त अपील को अवधि मध्य स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नं. 427 दिनांक 11.09.2019 ग्राम खेरखजूरिया पटवार हल्का झनझनी एवं तहसीलदार, छीपाबड़ौद का आदेश दिनांक 23.12.2024 को निरस्त किया जाकर प्रकरण की जांच नये सिरे से कर पुनः गोपीलाल के वैध वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के इंतकाल नम्बर 427 दिनांक 11.09.2019 वाके ग्राम [illegible] छीपाबड़ौद जिला बारां तस्दीक किया गया। इसके पश्चात पीड़ित पक्षकार अपीलांट के [illegible] रेस्पो. क्रम 03 ता 05 द्वारा फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया गया है। ग्राम [illegible] झनझनी में जमाबंदी संवत् 2047–2050 में खसरा नं. मिन 272 [illegible] दोयम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही थी तथा नई चौसाला जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 में उक्त खातेदार का नाम गोपीलाल के स्थान पर गोरीलाल पुत्र श्री बलराम दर्ज हो गया जबकि दोनों व्यक्ति भिन्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:20 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सभी दस्तावेज के आधार पर अपीलांट के द्वारा नामांतरकरण दर्ज कर जांच हेतु नामांतरकरण भू–अभिलेख निरीक्षक के समक्ष पेश किया जिन्होंने उक्त नामांतरकरण की जांच दिनांक 11.09.2019 को की तथा उक्त जांच के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा तस्दीक करने के बाद राजस्व रिकार्ड में उक्त नामांतरण का अमल दरामद कर दिया गया था।

रेस्पो. छाबू लाल द्वारा उक्त समस्त दस्तावेज फर्जी व कूटरचित बनाकर पेश किये गये थे, जिसकी जानकारी अपीलांट को तब हुई जब रेस्पो. क्रम 3 ता 5 द्वारा अपीलांट के विरूद्व फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया तो अपीलांट द्वारा रेस्पो. क्रम 1 के यहॉ उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु तथा उक्त कूटरचित दस्तावेज के सम्बन्ध मे जानकारी देकर उक्त नामान्तरकरण पर जारी निर्णय को निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा साथ मे धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर रेस्पो. क्रम 1 द्वारा उक्त नामान्तकरण को दिनांक 16.12.2024 को निरस्त भी कर दिया गया। जिसके बाद पुनः संशोधित आदेश दिनांक 23.12.2024 को जारी कर अपने द्वारा जारी किये गये निर्णय को अपास्त कर दिया गया। रेस्पो. क्रम 1 द्वारा दिनांक 23.12.2024 को जो आदेश जारी किया गया है वह बिना अधिकार क्षेत्र के जारी किया गया है, इस कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार रेस्पो. क्रम 1 द्वारा दिनांक 16.12.2024 को जो आदेश जारी किया गया था वह पूर्ण रूप से विधिक आदेश था क्योकि मौजूदा कानून मे यह प्रावधान है कि यदि किसी तथ्य को गलत बताकर कोई कार्य दौराने राजकार्य करते समय हो जाता है तो जब भी उक्त गलत तथ्य की जानकारी उसको हो जाती है तो वह अपने उच्चाधिकारियों को इस संबंध मे अवगत करवाकर सही करवा सकता है।

इस प्रकार प्रकरण मे यह पुष्टि अपीलांट के कथनों से एवं तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा जारी आदेश/निर्णय क्रमांक/प्रकरण संख्याः/भू.अ./पुनर्विलोकन/2024/2792 दिनांक 16.12.2024 एवं संशोधित निर्णय/आदेश दिनांक 23.12.2024 से हो जाती है कि उक्त नामान्तरकरण मे खातेदार का नाम गोपीलाल के स्थान पर गोरीलाल पुत्र श्री बलराम के नाम गलत दर्ज हो गया जबकि दोनों व्यक्ति भिन्न–भिन्न है।

उक्तानुसार प्रकरण में विवेचन पश्चात् अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 427 दिनांक 11.09.2019 वाके ग्राम खेरखजूरिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां एवं तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा जारी संशोधित निर्णय/आदेश दिनांक 23.12.2024 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद को इस आदेश के साथ रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में खातेदार गोपीलाल की मृत्यु की तस्दीक कर उसके समस्त विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से विधिक प्रावधानों के अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **22.01.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:30:20 IST
Reason: SelfAttested